Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No. 155/2026, Roshna P.S. Case No.- 92/2024
Rohit Kumar Singh @ Raja
VS.
State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद— कटिहार (बिहार)

B.P.No. 155/2026
Roshna P.S. Case No.- 92/2024

1. रोहित कुमार सिंह उर्फ राजा, उ0त0 24 वर्ष,
निवासी सा0 ग्रामः— महादेवपुर दिल्ली दिवानगंज, थाना— रोशना,
जिला— कटिहार..आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार ....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 स0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री.. जयशंकर सिंह।
उपस्थितिः— महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date 19-03-2026

आदेश

1. प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 22.01.2026 से काराधीन उपरोक्त अभियुक्त की ओर से दिनांक 12.02.2026 को विद्वान अधिवक्ता श्री जयशंकर सिंह द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस सूचक अमित कुमार भगत द्वारा थानाध्यक्ष रोशना को एक लिखित आवेदन देते हुए कथन किया है कि रामनगर कटिहार निवासी राजीव कुमार यादव जो दिनांक 25.12.2024 दिन के करीब 11:00 बजे लाभा जीरो माईल के पास मुझको चाकू दिखाकर पांच सौ रूपया रंगदारी मांग रहा था, जिसे हम जीरो माईल के समीप के दुकादार अनुज साह मो0 ईरफान वो अन्य लोगों की सहायता से इसे पकड़कर थाना में सुपुर्द किये। हम टेम्पू चलाते हैं। उक्त राजीव कुमार यादव और इसका साथी रोहित कुमार सिंह पिता स्व0 दीपक सिंह कुछ अन्य व्यक्ति नाम ना मालूम ये लोग आज से 10 दिन पूर्व मुझसे कटिहार जाने के कम में रास्ते में मेरा टेम्पू रोककर चाकू दिखाकर नौ सौ रूपया लिया था। इसके बाद ये लोग दो बार इसी तरह से मेरे साथ किया। उक्त राजीव कुमार यादव को थाना लेकर आने के बाद मो0 नं0 7633890451 से मेरा मोबाईल नम्बर 8178649944 पर फोन आया ये अपना नाम सोनू यादव तथा पकड़ाये राजीव कुमार यादव का अपने आप को मामा बताया। इसने मुझे जान से मार डालने की और उठवा लने का धमकी दिया।
3. जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जय शंकर सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को सुना।
4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक द्वारा पूर्व में आपराधिक विविध वाद 60358/2025 मान्नीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल किया गया था जो खारिज कर दिया गया तथा उसके बाद आवेदक के द्वारा अन्य कोई जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार या मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष कोई नियमित जमानत आवेदन अथवा

webolovilichar

अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध इस मामले के अतिरिक्त दो अन्य मामले रोशना थाना कांड संख्या 93/2024 एवं 29/2024 लंबित है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक को इस वाद में झूठा, शंका, एवं पूर्व दुश्मनी के आधार पर फंसाया गया है। इस मामले में उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है तथा एक संयुक्त सुलहनामा अभिलेख पर है। आवेदक घटना की तिथि व समय पर न तो वह सह अभियुक्त के साथ था न हीं सूचक द्वारा उसके अपराध में संलिप्तता का कोई आरोप लगाया गया है। सूचक द्वारा आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है तथा उसके फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक, कटिहार सरदार यशवंत सिंह द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप लगाया गया है। अतः वह जमानत का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचक अमित कुमार भगत के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक के विरूद्ध रोशना थाना कांड संख्या–92/2024 दिनांक25.12.2024 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 308(2), 351(2), (3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आवेदक पर आरोप है कि उसने सूचक अजीत कुमार भगत से सह अभियुक्त के साथ चाकू दिखाकर रंगदारी की मांग किया है। कांड दैनिकी के कडिका 3, 20, 14, 15 में साक्षियों ने आवेदक द्वारा पैसा की मांग को लेकर धमकी देने की बात कहा है। कांडदैनिकी के कंडिका 30 में आवेदक के विरूद्ध घटना सत्य पाया गया प्रतीत होता है। जमानत आवेदन से विदित है कि आवेदक के विरूद्ध पूर्व में भी रोशना थाना कांड संख्या 25/2024 उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गतदर्ज है, 29/24 दिनांक 10.06.2024 अन्तर्गत धारा 341,342,323,379,504,506/34भा0द0वि0 एवं 93/2024 दिनांक 26.12.2024 अन्तर्गत धारा 308(5),324(4),3(5),326;थ्द्ध,351(2) भारतीय न्याय संहिता तथा दर्ज है। कांड दैनिकी के साक्षियों ने कंडिका 10,14,15, मेंप्राथमिकीआवेदन का समर्थन किया हैळ। कंडिका 30 में आवेदक के विरूद्ध धारा 126(2),115(2),308(2),308(3),351(2),351(3),3(5) के अन्तर्गत सत्य पाया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख अवलोकन से विदित है कि उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित सुलहनामा अभिलेख पर है, जिससे स्पष्ट है कि उभय पक्षों ने राजीखुशी से आपस में सुलह कर लिया है तथा घटनास्थल पर किसी प्रकार की शांति भंग की कोई आशंका एवं साक्षियों से छेड़–छाड़ एवं प्रभावित किये जाने की कोई आशंका नहीं रह गयी है। आवेदक दिनांक 22.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

7. उपरोक्त विवेचन, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक के न्यायिक अभिरक्षा की अवधि एवं पक्षकारों के मध्य हुए सुलह को देखते हुए उसे जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। तदनुसार आवेदक रोहित कुमार सिंह उर्फ राजा द्वारा दाखिल नियमित जमानत आवेदन दिनांक 12.02.2026 को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदक द्वारा दाखिल

Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No. 155/2026, Roshna P.S. Case No.- 92/2024
Rohit Kumar Singh @ Raja
VS.
State of Bihar

जमानत आवेदन दिनांक 12.02.2026 को विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000/—रूपये तथा समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 480(3) में वर्णित उपबंधों के पालन के वचन पत्र के साथ दाखिल करने पर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।
कार्यालय आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।

8ए

webcopycivilcourtkatihar